प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

(1). आज दिनाँक 30.01.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.01.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 02/2024 धारा 354,323,504,506,376 भादवि0 के वांछित अभियुक्त राज किशोर पुत्र रामआसरे उर्फ सुमेरा निवासी बजनीपुरवा मजरा रावली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट हाल पता जीरो पॉइंट कस्बा भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द
2. आरक्षी राकेश कुमार

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी न्यू श्री सुशील कुमार वर्मा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2006 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त कमलेश केवट पुत्र शम्भू केवट निवासी बम्बुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा मंगल केवट पुत्र लालमन केवट निवासी खुस्सू का डेरा मजरा रेड़ी भुसौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 31.01.2006 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुमेश्वर सिंह द्वारा थाना मऊ अभियुक्त कमलेश केवट, मंगल केवट तथा उनके अन्य साथियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 14/2006 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राजकुमार सिंह द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 29.03.2006 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2017 धारा 363,366,376(2)(i),506 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी नोनार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 21.07.2017 को वादी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 150/2017 धारा 363,366,376(2)(i),506 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र यादव द्वारा की गयी विवेचक द्वारा तथा दिनाँक 29.11.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षकचित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत

मु0अ0सं0 218/2017 धारा 363,366,376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त निक्की बौरिया उर्फ शुभम पुत्र गया प्रसाद बौरिया निवासी पसियाना मुहल्ला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 15.02.2017 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि अभियुक्त निक्की बौरिया उर्फ शुभम उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक बहन को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा उसके साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 218/2017 धारा 363,366,376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री द्वारिका प्रसाद निरंजन द्वारा की गयी विवेचक द्वारा दिनाँक 28.02.2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 25.08.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।